राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक–प. 5(31) साप्र/3/82 जयपुर, दिनांकः 10.10.14

–:आज्ञा:–

विषय :– राजकीय अधिकारीगण के निवासीय टेलीफोन (बेसिक+मोबाईल+इन्टरनेट + ब्रॉडबैण्ड) पर एक मुश्त मासिक वित्तीय सीमा तक व्यय के निर्धारण बाबत।

राजकीय अधिकारीगण के निवास पर बेसिक टेलीफोन/मोबाईल/इन्टरनेट(ब्रॉडबैण्ड) उपलब्ध कराने बाबत इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.08.2013 में निर्धारित शर्तो में निम्नानुसार संशोधन/परिवर्धन किया जाता है। इस आदेश के प्रसारित होने के पश्चात शर्त सं. 1 से 15 यथावत रहेंगी, तत्पश्चात शर्ते निम्नानुसार पढी जायेंगी:–

16. सभी अधिकारीगण जिन्हें आवास पर राजकीय टेलीफोन की सुविधा स्वीकृत है, राजकीय एवं निजी लैपटॉप /टैबलेट/आईपैड पर अपनी वित्तीय मासिक सीमांतर्गत इन्टरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक अतिरिक्त सिम का उपयोग कर सकेंगे।
17. अधिकारीगण को केवल पोस्टपेड सिम/डाटा कार्ड पर ही यह सुविधा देय होगी। इस सिम पर वॉइस कॉल (Voice Call) की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होगी। किसी भी प्रकार से की गई वॉइस कॉल (Voice Call)का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा।
18. संबंधित अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उनके पास स्थित राजकीय व निजी लैपटॉप /टैबलेट/आईपैड पर ही इस सुविधा का उपयोग सुनिश्चित करेंगे। इस सुविधा के दुरूपयोग के लिए संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
19. अतिरिक्त सिम/डाटा कार्ड की उक्त सुविधा वर्तमान में अधिकारियों को निवास के लिए स्वीकृत टेलीफोन हेतु निर्धारित एकमुश्त मासिक वित्तीय सीमा के अंतर्गत ही देय होगी।
20. अधिकारियों को तय वित्तीय सीमा के अंतर्गत रोमिंग (नेशनल), एसटीडी प्लान, वेल्यू ऐडेड सर्विसेज, एसएमएस, लेट फीस आदि सभी चार्जेज अनुज्ञेय होंगे।

यह आज्ञा वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. सं0 101403723 दिनांक 26.09.14 के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/वरिष्ठ शासन उप सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव/अति. निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
6. वरिष्ठ उप सचिव, (निजी सचिव), मुख्य सचिव।
7. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त।
9. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
10. समस्त शासन उप सचिवगण/समकक्ष अधिकारीगण
11. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय।
12. समस्त कोषाधिकारी।
13. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

Room No. 1133, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005,
Tel. No. (Jt. Secy)-0141-2227874/9414085447, (AS)9414043554 (SO)-2227776 (Fax)-5116626, 2227928
Website: www.gad.rajasthan.gov.in, Email-gadsec11@rediffmail.com

D:\C B Dhakar Old-\ChandraBhanDhakar\G K Mishra13\Circular2013New.doc